



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मोमीन पुत्र श्री जिन्दा हसन, निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35274/प्रो०3-फार्म-ए/(एम-25.08.2025) दिनांक-08-09-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मोमीन पुत्र श्री जिन्दा हसन, जो ग्राम-संसारपुर, थाना-बहेट, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। दिनांक 09.01.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी कु० इसराना की आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी० नं०- 379/2008, भा०द०वि० की धारा- 302/120 बी, 201/120 बी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-02, सहारनपुर के आदेश दिनांक 21.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं (2) एस०टी० नं०- 761/2008, भा०द०वि० की धारा- 363, 366 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-02, सहारनपुर के आदेश दिनांक 21.07.2010 द्वारा 07 वर्ष का कारावास। बन्दी द्वारा दिनांक 25.10.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 09.01.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी कु० इसराना की आग लगाकर हत्या किये जाने का अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने एवं पुनः अपराध करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोमीन पुत्र श्री जिन्दा हसन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मोमीन (बन्दी संख्या-49337) पुत्र श्री जिन्दा हसन, निवासी जनपद-सहारनपुर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के

अन्तर्गत फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1382/2026/1868(1)/22-2-2025 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोमीन पुत्र श्री जिन्दा हसन, जो ग्राम-संसारपुर, थाना-बहेट, जनपद-सहारनपुर का निवासी है। दिनांक 09.01.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी कु० इसराना की आग लगाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी० नं०- 379/2008, भा०द०वि० की धारा- 302/120 बी, 201/120 बी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-02, सहारनपुर के आदेश दिनांक 21.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं (2) एस०टी० नं०- 761/2008, भा०द०वि० की धारा- 363, 366 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-02, सहारनपुर के आदेश दिनांक 21.07.2010 द्वारा 07 वर्ष का कारावास। बन्दी द्वारा दिनांक 25.10.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 06 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 09.01.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी कु० इसराना की आग लगाकर हत्या किये जाने का अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने एवं पुनः अपराध करने में अशक्त न होने के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मोमीन पुत्र श्री जिन्दा हसन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।